

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक दिनांक 14.02.2007 में लिये गये निर्णय/कार्यवाही का विवरण ।

| क्र.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|---------|---|---|-------------------------|---------------|
| 1 | 112.1 कार्यकारी समिति की 111 वां बैठक दिनांक 22.01.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। उभायुक्त जोन-11 द्वारा निम्न पूर्व एजेण्डाओं में संशोधन/सुझाव प्रस्तुत किये हैं :- ए.सं. 111:7 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठोकरिया तहसील सांगानेर में ख.नं. 757 को शामिल किये जाने बाबत। ए.सं. 111:8 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चौसला तह. चाकसू में ख.नं. 858 के स्थान पर ख.नं. 853 दर्ज किये जाने बाबत। ए.सं. 111:13 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हसनपुरा तह. सांगानेर में ख.नं. 288/371 के स्थान पर ख.नं. 0.37 है। लिखा गया है। उसे समाप्त किया जावे। ए.सं. 111:14 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रानीपुरा तह. चाकसू के ख.नं. 353/323 के स्थान पर ख.नं. 253/323 दुरुस्त किया जावे। ए.सं. 111:26 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम जयसिंहपुरा तह. रूपा तह. सांगानेर के ख. नं. 419 के स्थान पर ख.नं. 491 को शामिल किये जाने बाबत। ए.सं. 111:47 मैसर्स वैल्यू लैंड योजना ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 09 के स्थान पर ख.नं. 409 दर्ज किया जावे। | सर्व सम्मति से गत बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुये जोन-11 द्वारा प्रस्तुत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (आयोजना) /जोन-11 | |
| 2 | 112.2 श्री रामकिशोर गुर्जर, भू-मापक की प्रतिनियुक्ति अवधि में अनिवृद्धि किये जाने हेतु। | श्री रामकिशोर गुर्जर, अमीन की प्रतिनियुक्ति दिनांक 25.2.2006 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| 3 | 112.3 श्रीमती संगीता मीणा, नायब तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति अवधि में अनिवृद्धि बाबत। | श्रीमती संगीता मीणा, नायब तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति दिनांक 31.1.08 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| 4 | 112.4 कनिष्ठ सहायक के 23 पदों को सीधी भर्ती कोटा से पदान्तरित कोटा में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति बाबत। | दिवार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कनिष्ठ सहायक के सीधी भर्ती के रिक्त 53 पदों में से 23 पद पदान्तरित कोटा में एक बारीय स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति दी गई। पदान्तरित होने वाले कर्मचारियों का तदर्थ रूप से पदान्तर कर दिया जावे, तथा एक वर्ष के परिवीक्षा काल में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के दो अवसर देते हुये प्राधिकरण द्वारा घोषित कम्प्यूटर के पाठ्यक्रम की परीक्षा पास करनी होगी। यदि एक वर्ष की अवधि में प्रदान किये गये दो अवसरों का कर्मचारी लाभ नहीं उठाता है तथा किसी कारणवश परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है, तो आगामी एक वर्ष परिवीक्षा अवधि और बढ़ायी जा सकेगी तथा बढ़ायी गई अवधि के दौरान परीक्षा के दो अवसर और दिये जा सकेंगे। जविप्रा द्वारा घोषित पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा। कर्मचारी दिये गये अवसर के अनुसार यदि परीक्षा पास नहीं करता है और अनुत्तीर्ण रहता है तो उस कर्मचारी को पूर्व पद पर पदान्तरित कर दिया जायेगा। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |

| | | | | |
|----|--------|---|---|-------------------------|
| 5 | 112.5 | Construction of Road for the work Construction of Power Station and De-energizing Salts Road Dehli Rly. Line to Sawal Madhopur Rly. Line. Sanganer, Jaipur. | सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1.38 प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जा सकता है। | Zonal Engineer-5 |
| 6 | 112.6 | Approval of tender for construction of BT Roads in Transport nagar Sanganer and Jaipur. | सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 24 प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जा सकता है। | Zonal Engineer-12A |
| 7 | 112.7 | ग्राम भोसपुरा तहसील सांगानेर के खसरा 942, 943, 945/1861, 939, 940, 941 कुल किता 6 रकबा 238.80 में से सड़क में निर्माणाधीन वाली 665.50 वर्ग मीटर भूमि को छोड़ते हुये 17314.50 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (गुप्त हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया जा रहा है। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 25(3) की विधि अनुसार सड़क का 183 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (गुप्त हाउसिंग) स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव दर्शाया गया है। 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रपिप्त किया जावे। शेष खसरा नं. 942, 943, 945/1861 वर्ग मीटर भूमि का अंशिक रूप में प्रस्तावित होने के कारण इन खसरा नम्बरों का उपयोग नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-11 |
| 8 | 112.8 | ग्राम व तहसील चामू के खसरा नम्बर 6793 से 6795 रकबा 293 हेक्टेयर अर्थात् 35042.08 वर्गगज में से 5740.8 वर्गगज भूमि जिसका भू-उपयोग आवासीय है अतः इसे छोड़ते हुये शेष भूमि 29302 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण नर्सरी और्चार्ड से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। | जोन की विधि अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई और्चार्ड, नर्सरी, वृक्ष आदि नहीं है अतः विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रपिप्त किया जावे। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-12 |
| 9 | 112.9 | ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 64, 65, 64/355, 64/356, 65/353, 65/354 कुल किता 6 रकबा 331 हेक्टेयर में से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्लान्टेशन कोरीडोर में आ रही 12222.50 वर्गमीटर को छोड़ते हुये शेष 20877.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के सम्बन्ध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय एवं प्लान्टेशन कोरीडोर की 12222.50 वर्ग मीटर भूमि को छोड़ते हुये शेष 20877.50 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रपिप्त किया जावे। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-11 |
| 10 | 112.10 | ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1955 व 1958 किता 2 कुल रकबा 2.43 हेक्टेयर भूमि भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) किये जाने के सम्बन्ध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रपिप्त किया जावे। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-11 |
| 11 | 112.11 | जदिप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नॉगल तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 86, 92/1, 175, 199, 92/2, 151, 27/2, 92/5, 93/321, 92/3, 27/1, 92/4, 32, 86/297, 65, 66, 69, 211, 213, 217, 266, 273, 29, 46/306, 58, 59, 61, 62, 80, 87, 87/298, 87/298/327, 135, 136, 153, 164, 166/328, 168, 185, 188, 207, 219/301, 264 कुल किता 43 रकबा 11.24 हेक्टेयर एवं ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 454, 266, 279, 289, 347, 14, 15, 21, 39, 58, 134, 342, 375, 381, 383, 388, 389, 400, 662, 664, 369/699, 3/708, 13/728, 1/710, 382, 6, 170, 207, 208, 209, 211, 215, 582, 452, 531, 64 कुल किता 36 रकबा 5.23 हेक्टेयर कुल भूमि 16.47 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रपिप्त किया जावे। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-11 |

| क्र.सं. | पद | विभाग का नाम |
|---------|---|--|
| 1. | जिला सचिव, नामनीय राज्य मंत्री महोदय | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर नगर निगम। |
| 2. | जिला सचिव | जिला परिषद, जयपुर। |
| 3. | जिला सचिव | राजस्थान आवासन मण्डल। |
| 4. | राजस्थान सचिव | नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 5. | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 6. | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | श्रीका, जयपुर। |
| 7. | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर। |
| 8. | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। |
| 9. | प्रबन्ध निदेशक | जिला कलक्टर, जयपुर। |
| 10. | जिला कलक्टर | नगर निगम, जयपुर। |
| 11. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | पुलिस विभाग, जयपुर। |
| 12. | पुलिस अधीक्षक | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 13. | सचिव | नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर। |
| 14. | मुख्य नगर नियोजक | सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। |
| 15. | मुख्य अभियन्ता | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। |
| 16. | मुख्य अभियन्ता | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर। |
| 17. | मुख्य अभियन्ता | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 18. | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 19. | निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 20. | निदेशक (परियोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 21. | निदेशक (आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 22. | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 23. | अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 24. | वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 25. | उपायुक्त जॉन..... | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 26. | विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |

सचिव,
जयपुर, जयपुर